हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 28 अगस्त, 2025

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–126/2025.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 28 अगस्त, 2025 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 4 का संशोधन।
3. धारा 5 का संशोधन।

––––––––––

2025 का विधेयक संख्यांक 15.

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

2. धारा 4 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 की उप–धारा (4) में, ''छः मास'' शब्दों के स्थान पर ''दो वर्ष'' शब्द रखा जाएगा।

3 धारा 5 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में, द्वितीय परन्तुक के अन्त में ''।'', चिन्हों के स्थान पर '':'' चिन्ह रखे जाएंगे और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और भी कि नगर निगम का प्रथम निर्वाचन, उसके निगम के रूप में अधिसूचित किए जाने के दो वर्ष की अवधि के भीतर करवाया जा सकेगा।''।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में, शहरी विस्तार को समायोजित करने और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका सेवाओं में सुधार के लिए हाल ही में कई नए नगर निगमों का गठन किया गया है। इस विस्तार के कारण, तत्काल चुनाव कराना संभव नहीं है क्योंकि इन नवगठित नगर निगमों में आवश्यक बुनियादी ढांचे, जैसे पर्याप्त कार्मिक, कार्यालय स्थान और वित्तीय संसाधन, का अभाव है, जो सभी प्रभावी चुनाव संचालन और नगरपालिका मामलों के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। तद्नुसार, अधिनियम में संशोधन करके यह प्रस्तावित किया गया है कि किसी नगर निगम का प्रथम चुनाव उसके गठन के दो वर्षों के भीतर कराया जा सकेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(विक्रमादित्य सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :
तारीख....., 2025

———————

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 15 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)

BILL, 2025

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 5.

Bill No. 15 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2025

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No.12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (4), for the words "six months", the words "two years" shall be substituted.

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), after second proviso, at the end for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the first election to a Municipal Corporation, may be held within a period of two years of its being notified as a Corporation.".

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Himachal Pradesh, several new Municipal Corporations have recently been constituted to accommodate urban expansion and improve municipal services in urban areas. Due to this expansion, it is not feasible to conduct immediate elections because these newly formed Municipal Corporations lack essential infrastructure such as adequate personnel, office space, and financial resources, all of which are necessary to effectively conduct elections and manage municipal affairs.

Accordingly, it has been proposed to amend the Act to provide that the first election to a Municipal Corporation may be held within two years of its constitution.

The Bill seeks to achive the aforesaid objectives.

(VIKRAMADITYA SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The……., 2025

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil-